# न्यायालय अति.जिला कलेक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी :: डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

**राजस्व विविध :: 56/2022**
**जी.सी.एम.एस. :: 2022/186**

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड़ जंक्शन | | 1. चन्द्राराम पुत्र रामा जाति बावरी, निवासी कण्टालिया तहसील मा0ज0 जिला पाली |

**"प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956"**

उपस्थित :–

1. प्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना।
2. अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार प्रजापत।

**–:: आदेश ::–**

**दिनांक :** 30/03/2026

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के प्रकरण संख्या रेफरेन्स/एलआर/2017/6053 अनवान सरकार बनाम चन्द्राराम में पारित निर्णय दिनांक 26.07.2021 की पालना में पुनः दर्ज किया जाकर माफिक निर्णय रेकर्ड तलब किया गया एवं अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

सरकारी पैरोकार ने वक्त बहस रेफरेन्स प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम कटालिया पटवार मण्डल कटांलिया प्रथम की मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2010–19 के अनुसार गत खसरा संख्या 910 किस्म गै.मु.नाडा थी, जिसके हाल खसरा संख्या 1278/3 रकबा 0.5000 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला का नियमन नियमन अधिकारी मा0ज0 द्वारा आदेश 1052–1059 दिनांक 06.06.2002 द्वारा जैर आराजी का नियमन अप्रार्थी के पक्ष में किया गया। जिसकी पालना में म्युटेशन संख्या 1788 दिनांक 28.02.2003 स्वीकृत किया जाने से अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। वक्त आवंटन जैर आराजी कि किस्म गैर मुमकिन नाडा थी। जिसका किस्म परिवर्तन कर बारानी प्रथम किया जाकर अप्रार्थी के नाम नामान्तरकरण भरा गया। जैर आराजी भूमि की किस्म राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमि की श्रेणी में होने से आवंटन नहीं किया जा सकता है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन आदेश 1057–1059 दिनांक 06.06.2002 एवं नामान्तरकरण संख्या 1788 दिनांक 28.02.2003 को निरस्त करवाकर जैर आराजी की किस्म पुनः नाड़ा दर्ज कराने हेतु रेफरेन्स फरमाया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थीगण को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन नियम), 1970 के तहत भूमि का

अति. जिला कलेक्टर, पाली

आवंटन/नियमन सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी पाली द्वारा नियमों के अनुरूप किया गया है। आवंटन अधिकारी द्वारा जैर आराजी का रेकर्ड एवं मौके की स्थिति को देखते उक्त भूमि का आवंटन, आवंटी के पक्ष में किया गया है। भूमि काबिल काश्त उपलब्ध थी एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत आंवटन/नियमन की गई भूमि प्रतिबंधित नहीं थी। गैर मूमकिन तालाब, नदी, आगोर, तालाब व नदी के प्रवाह को अवरूद्ध करने वाली भूमियों का आवंटन नहीं किया जा सकता है। माना कि भूमि आवंटन से पूर्व ग़ैर मूमकिन नदी, तालाब, नाला, केचमेन्ट एरिया की थी। भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रथम सेटलमेन्ट सम्वत् 2025 में किया गया। वक्त सेटलमेन्ट रेकर्ड के अनुसार मौके की जांच की गई तथा मौका स्थिति के अनुसार भूमि काबिल काश्त होने से उसकी किस्म बारानी दोयम इत्यादि दर्ज कर दी गई है। किस्म परिवर्तन का अधिकार भू–प्रबन्ध विभाग को है एवं उनके द्वारा उक्त भूमि की किस्म परिवर्तन हेतु की गयी कार्यवाही विधिसम्मत थी। आंवटियों द्वारा मौके पर हजारों रूपये खर्च कर भूमि को काबिल काश्त बनाया गया एवं मौके पर बेरा खोदकर, बिजली कनेक्शन लेकर भूमि को उपजाऊ बनाया। अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये आवंटन/नियमन को निरस्त करवाने हेतु करीब 34–35 वर्ष पश्चात् प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जो नियम विरूद्ध होने से भी खारिज योग्य है, आवंटित व्यक्ति बेकसूर है। अप्रार्थीगण के पक्ष में विधिवत आवंटन होने के पश्चात् उनके द्वारा हजारों रूपये खर्च कर जीवन निर्वाह हेतु उक्त आराजी को एक मात्र साधन/स्त्रोत बनाया है, आवंटन निरस्त होने की स्थिति में अप्रार्थी का जीवन निर्वाह मुश्किल हो जायेगा। उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए आवंटन निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। यदि जैर आवंटन/नियमन में किसी प्रकार की अनियमितता, छल कपट या गलत तथ्य बताकर किया गया हो तो नियम 14(4) एवं नियम 20 के तहत उस आवंटन/नियमन को निरस्त करवाये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था परन्तु हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त परिस्थतिया प्रदर्श नहीं हुई है। उक्त स्थिति में तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से भी खारिज योग्य है क्योंकि भू–प्रबन्ध विभाग श्रीमान के न्यायालय के अधीन नहीं है। तहसीलदार ने अपने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी के विरूद्ध कहीं भी यह स्पष्ट नही किया है कि जैर आराजी पर वर्तमान में नाडी है इसलिये भी जैर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया, पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। ग्राम कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन की जमाबन्दी सम्वत् 2066–2069 के अनुसार खसरा संख्या 1278/3 रकबा 0.5000 किस्म बारानी प्रथम अप्रार्थी के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। ग्राम कण्टालिया के मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2025 के अनुसार गत खसरा संख्या 910 के वर्तमान खसरा संख्या 1227, 127 1278 है तथा खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2010 से 2019 के अपुयसा खसरा संख्या 910 की किस्म गै.मु.नाला अंकित है एवं खसरा बन्दोबस्त में भी वर्तमान खसरा संख्या 1278 की किस्म गै.मु. अंकित है। इसी प्रकार खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2029 से 2048 के अनुसार खसरा संख्या 1278 की किस्म गै.मु.नाला दर्ज है। उक्त जैर आराजी कि मूल किस्म गैर मुमकिन नाला थी तथा भू प्रबन्ध के दौरान उक्त भूमि खसरा संख्या

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

1278/3 की किस्म परिवर्तन कर गै.मु.नाला से बारानी प्रथम कर दी गई। जैर आराजी के सम्बन्ध में आंवटन/नियमन आदेश क्रमांक/राज/अभियान/1057–1059 दिनांक 06.06.2002 के द्वारा जैर आराजी अप्रार्थी के पक्ष में आंवटित की गई, जिसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1788 दिनांक 28.02.2003 के द्वारा आवंटी को जैर आराजी में खातेदार दर्ज किया गया। साथ ही ग्राम कण्टालिया के नामान्तरकरण संख्या 1287 में भी खसरा संख्या 1278 की किस्म गै.मु.नाला नाकाबिल काश्त भूमि के रूप में दर्ज थी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत अपने अधीनस्थ किसी न्यायालय अथवा अधिकारी द्वारा निर्णित मुकद्दमें के या उसके द्वारा की गई कार्यवाहियों के अभिलेख पर दिये गये आदेश की वैधता अथवा औचित्य से तथा कार्यवाहियों की नियमितता से अपने आप को सन्तुष्ट करने के प्रयोजन के लिये अभिलेख मंगाने एवं परीक्षण करने के पश्चात मण्डल को अथवा राज्य सरकार को रेफरेन्स करने के प्रावधान है। हस्तगत प्रकरण में भूमि कि किस्म गै.मु.नाला दर्ज थी, जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में आवंटन/नियमन से प्रतिबन्धित है तथा प्रतिबन्धित श्रेणी में शुमार होने से खातेदारी अधिकार भी प्रदान नहीं किये जा सकते है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त शिवजी लाल व अन्य बनाम बोर्ड आफॅ रेवेन्यू व अन्य, 2007(2) सी.डी.आर. 1724(राज) : 2007(2) डी.एन.जे. (राज) 898 एच.सी. में यह प्रतिपादित किया कि तालाब या नदी के पेटे की भूमि मे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के कारण खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत (Accrue) नहीं होते।

जैर आराजी का आवंटन आदेश की पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण के द्वारा अप्रार्थी को जैर आराजी में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। राजस्व (ग्रुप–7) विभाग जयुपर के परिपत्र क्रमांक–प3(146) राज–7/2011 दिनांक 05.07.2012 के अनुसार केचमेण्ट क्षेत्र को माननीय न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 21.02.2012 में परिभाषित किया है, यह निम्नानुसार है – where ever the word catchment has been mentioned presently it should consider to mean the land of the river, pond, tributaries etc from where water flows. राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 की उपधारा 5 के अनुसार रेफरेन्स के लिए कोई परिसीमा निर्धारित नहीं है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त कस्तूरी बाई बनाम स्टेट आफॅ राजस्थान, 2002(1) सीडीआर 648 (राज.) : 2002 (2) डी.एन.जे. (राज.) 933 के अनुसार रेफरेन्स के मामलों में परिसीमा अधिनियम लागू नहीं होता। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान पुराने खसरा नम्बर से नये खसरा नम्बर तहरीर करते समय उक्त भूमि कि किस्म गै.मु.नाला से बारानी प्रथम दर्ज की गई है। आवंटन कमेटी द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधि विरूद्ध होने से एवं माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना में जैर आराजी की किस्म पुनः पूर्व की स्थिति में बहाल की जानी है, इसके तहत उक्त रेफरेन्स मेन्टेनेबल है तथा हस्तगत प्रकरण इससे पूर्णतः प्रभावित है। प्रकरण के तथ्यों के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान सरकान बनाम लट्टू, 2013 आर.आर.डी. 727: 2014 (1) आर.आर.टी. 256 में यह अभिनिर्धारित किया कि भूमि गैर मुमकिन नाला दर्ज थी–विपक्षी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई सम्बन्धित नामान्तरण प्रभावित हुआ– धारा 16 आर.टी.ए. के अनुसार नदी, नाला, तालाब की भूमि में खातेदारी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

अधिकार नहीं दिए जा सकते–निदेश स्वीकार किया गया। भूमि को पुनः सिवाय चक गैर मुमकिन दर्ज किए जाने का आदेश हुआ नामान्तरण किया गया, जो कि हस्तगत प्रकरण पर हूबहू चस्पा होता है। इसलिये आवंटन कमेटी द्वारा किए गए आवंटन आदेश कि पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1788 दिनांक 28.02.2003 को कायम रखां जाना विधि सम्मत नहीं है।

परिणामस्वरुप तहसीलदार, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि ग्राम कण्टालिया तहसील मारवाड़ जंक्शन के खसरा संख्या 1278/3 के सम्बन्ध में अप्रार्थी के पक्ष में नियमन आदेश दिनांक 06.06.2002 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 1788 दिनांक 28.02.2003 को निरस्त फरमाया जाकर जैर प्रार्थना पत्र आराजी पुनः गैर मुमकीन नाला दर्ज कराने एवं भूमि को सरकारी खाते में दर्ज करवाने के आदेश प्रदान करावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर, पाली